



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. PHEW-0759-2023-17-मेडि-1.— औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश में कार्यरत् निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को, उक्त नियम के भाग छह के प्रायोजन के लिए, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर के क्षेत्रों के लिये, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

1. श्री उमेश रामचंद्रानी
2. श्री स्वप्निल सिंह
3. श्री शोभित कुमार तिवारी
4. श्रीमती महिमा जैन
5. कु. प्रियंका कुमारी चौबे
6. डॉ. आकांक्षा गरुड़
7. कु. अनुभूति शर्मा
8. श्री मंजौत जामले
9. श्रीमती मनीषा गुर्जर

Bhopal, the 6th October 2023

No.PHEW-0759-2023-17-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 59 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the State Government, hereby, appoints following Drugs Inspectors working in the Food and Drugs Administration, Madhya Pradesh to be the Licensing Authority for the purpose of Part VI of the said rules for the areas within their respective jurisdiction, namely :—

1. Shri Umesh Ramchandani
2. Shri Swapnil Singh
3. Shri Shobhit Kumar Tiwari
4. Smt. Mahima Jain
5. Ku. Priyanka Kumari Choubey
6. Dr. Akanksha Garud
7. Ku. Anubhuti Sharma
8. Shri. Manjeet Jamle
9. Smt. Manisha Gurjar

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.